भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1810

जिसका उत्तर मंगलवार 08 मार्च, 2016 को दिया जाना है

राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तुओं संबंधी नीति

1810. श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश को पूंजीगत वस्तुओं हेतु विश्वस्तरीय केंद्र में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तुओं संबंधी नीति आरंभ की है, यदि हां, तो उक्त नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इसमें वित्त की उपलब्धता, कच्चा माल, नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी, उत्पादकता, गुणवत्ता और पर्यावरण हितैषी विनिर्माण पद्धति, निर्यात को प्रोत्साहन और घरेलू मांग के सृजन जैसे कुछ प्रमुख मुद्दे हैं;

(घ) यदि हां, तो केंद्र सरकार द्वारा इन प्रमुख मुद्दों को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार प्रौद्योगिकी विकास निधि शुरू करने, मौजूदा परीक्षण और प्रमाणीकरण सुविधा का उन्नयन और नई सुविधा की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री अनंत ग. गीते)

(क) और (ख): सरकार ने केपिटल गुड्स संबंधी मुद्दों, चुनौतियों का समग्र रूप से निवारण करने और 'मेक इन इंडिया' अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी एकीकृत राष्ट्रीय गुड्स नीति की शुरुआत की है। यह नीति इस दृष्टिकोण से तैयार की गई है कि कुल विनिर्माण क्रियाकलापों में केपिटल गुड्स का योगदान जो फिलहाल 12% है, उसमें वृद्धि करते हुए 2025 तक 20% किया जाए। राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति में केपिटल गुड्स वृद्धि के लिए समर्थकारी माहौल उपलब्ध कराते हुए तथा घरेलू और निर्यात बाजार मांग को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धी मशीनरी का विनिर्माण करने हेतु घरेलू विनिर्माताओं के लिए सतत प्रोत्साहन सुनिश्चित करते हुए केपिटल गुड्स सेक्टर को बढ़ावा देने के प्रयास करने की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति की एक सॉफ्ट प्रति भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (dhi.nic.in) पर अपलोड कर दी गई है।

(ग): भारतीय केपिटल गुड्स उद्योग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित मुख्य मुद्दों की पहचान की गई है:

i). घरेलू मांग सृजन तथा विस्तार को प्रभावित करने वाले मुद्दे जिनमें क्षमता का कम उपयोग, सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति, पुरानी मशीनों का आयात, परियोजना आयात के अधीन शून्य शुल्क आयात शामिल हैं।

ii). प्रौद्योगिकी गहनता को प्रभावित करने वाले मुद्दे जिनमें महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय अंतर, स्कीम उपलब्धता की कमी, अपर्याप्त सहायक अवसंरचना, अपर्याप्त राजकोषीय प्रोत्साहन, भारतीय मानकों में सुधार की आवश्यकता शामिल है।

iii). लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले मुद्दे जिनमें कर और शुल्क संरचना के कारण लागत निर्योग्यता, विकृतियां, आंतरिक शुल्क संरचना और उच्च अवसंरचना तथा संचालन लागत शामिल हैं।

iv). सब-स्केल यूनिटों से संबंधित मुद्दे जिनमें नए उत्पाद और प्रक्रियाएं विकसित करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सीमित योग्यता, मानक संबंधी कम जानकारी तथा पूंजी की अपर्याप्त उपलब्धता शामिल हैं.

(घ): 'भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि' की एक स्कीम भारी उद्योग विभाग द्वारा 5 नवम्बर, 2014 को आरंभ की गई थी। नीति की मुख्य सिफारिश है कि मौजूदा केपिटल गुड्स स्कीम को सुदृढ़ किया जाए जिसमें प्रौद्योगिकी विकास हेतु उत्कृष्टता केन्द्र, साझा इंजीनियरी सुविधा केन्द्र आदि के दायरे एवं बजटीय आबंटन में बढ़ोतरी करना, प्रौद्योगिकी विकास निधि आरंभ करना, 'केपिटल गुडस सेक्टर के लिए स्टार्ट-अप केन्द्र' बनाना, अनिवार्य मानकीकरण, विकास का उन्नयन, परीक्षण एवं प्रमाणन अवसंरचना, कौशल विकास, क्लस्टर एप्रोच के माध्यम से वृद्धि संवर्धन की स्कीम उपलब्ध कराना, केपिटल गुड्स की मौजूदा इकाइयों का आधुनिकीकरण तथा भारी उद्योग निर्यात एवं बाजार विकास सहायता स्कीम के लिए एक समर्थकारी प्रायोगिक स्कीम का सृजन करने जैसे घटक पहले ही शामिल हैं।

(ङ) और (च): इस नीति में प्रौद्योगिकी अधिप्राप्ति, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आईपीआरएस की खरीद, डिजाइन्स एवं ड्राइंग्स के साथ-साथ केपिटल गुड्स की ऐसी प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकरण का वित्तपोषण करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत एक प्रौद्योगिकी विकास निधि शुरू करने की सिफारिश की गई है। नीति में सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट (सीपीआरआई) जैसे परीक्षा एवं प्रमाणन सुविधाओं के उन्नयन और केपिटल गुड्स के अलग-अलग उप-सेक्टरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीएमटीआई 10 और संस्थानों की स्थापना करने की भी परिकल्पना की गई है।

****